08.01.13 (195)

JS-Com-JD

कार्यालय, प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार,
सामाजिक प्रक्षेत्र –I, स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना - 800001

-8 JAN 2013

सं0. एल0 ए0 /एस0 एस0 –1/श0 स्था0 नि0/14321/953 **दिनांक:–** 31.12.12

सेवा में,

प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार सरकार, पटना

महाशय,

नगर परिषद् किशनगंज के वर्ष 2009–10 से 2010–11 तक के लेखाओं पर आधारित लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सं0 04/12–13 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के कंडिकाओं का अनुपालन, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर प्रेषित करवाने का कष्ट करें, साथ ही पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों के लम्बित कंडिकाओं का अनुपालन भी प्रेषित करवाया जाय जिससे लेखा परीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखा परीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं/विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

संलग्नक: यथोक्त

भवदीय,

~~वरीय~~ लेखा परीक्षा अधिकारी
शहरी स्थानीय निकाय
सोशल सेक्टर–1
बिहार, पटना

(194)

नगर परिषद् किशनगंज
निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या–04/12–13
(अवधि– 2009–10 से 2010–11 तक)

1. प्रस्तावना

नगर परिषद्, किशनगंज का वर्ष 2009–10 एवं 2010–11 के लेखाओं का लेखापरीक्षा प्रधान महालेखाकार(लेखापरीक्षा) के स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा के लेखा परीक्षा दल द्वारा दिनांक 23.03.12 से 04.04.12 की अवधि में किया गया।

2. प्रशासन

क्र0सं0	नाम	कार्य अवधि
(क)	**मुख्य पार्षद**	
1	श्रीमती सीबिया देवी	1.04.09 से 31.03.11
(ख)	**कार्यपालक पदाधिकारी**	
1	मो0 अजहरूद्दीन	1.04.09 से 2.07.09
2	श्री अनिल कुमार	3.07.09 से 4.11.09
3	श्री जयप्रकाश भगत	5.11.09 से 23.02.10
4	श्री अनिल कुमार	24.02.10 से 31.03.11

3. लेखा परीक्षा का क्षेत्र

लेखापरीक्षा के समक्ष प्रस्तुत लेखाओं एवं रजिस्टरों की सूची परिशिष्ट–I में एवं लेखापरीक्षा के समक्ष अप्रस्तुत असंधारित लेखाओं एवं बहियों की सूची परिशिष्ट–II में दिए गए है।

4. पूर्ववर्ती लेखापरींक्षा प्रतिवेदन

पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं0 524/07–08(वर्ष 2005–06 एवं 2006–07) तथा 692/2009–10(वर्ष 2007–08 एवं 2008–09) का अनुपालन प्रतिवेदन लेखापरीक्षा में प्रस्तुत किया गया। लेखापरीक्षा दल द्वारा अनुशंसित निरस्त कंडिका एंव शेष कंडिका का विवरण निम्नलिखित है:–

क्र0सं0	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं0 एवं वर्ष	लंबित कंडिकाओं की सं0	अनुशंसित निरस्त कंडिका की सं0	शेष कंडिका
1	524/2007–08, वर्ष 2005–06 एवं 2006–07	36	20	16
2	692/2009–10, वर्ष 2007–08 एवं 2008–09	37	22	15

5. आंतरिक अंकेक्षण

बिहार नगरपालिका अधिनियम,2007 की धारा 97 में आंतरिक लेखापरीक्षा का स्पष्ट प्रावधान है तथा बिहार म्यूनिसिपल लेखा नियम–1928(नियम 20,64, एवं 73 क) इत्यादि में यह उपबंधित है कि आंतरिक जाँच अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कार्यपालक पदाधिकारी अथवा अन्य जिम्मेवार अधिकारी, जिसे प्राधिकृत किया गय हो, के द्वारा किया जायेगा। इस तरह की जाँच की व्यवस्था उचित नियंत्रण, अभिलेखों के संधारण अथवा किसी भी संभावित वित्तीय अनियमितता को दूर करने हेतु की गई है।

अभिलेखों की जाँच क्रम में पाया गया कि उक्त जाँच की व्यवस्था नगर परिषद पदाधिकारियों द्वारा नहीं की गई, जिसके कारण अनेक त्रुटियाँ लेखापरीक्षा क्रम में पायी गयी। अतः नगर परिषद् पदाधिकारी से अनुरोध है कि नियम के उपबंधों के अनुरूप जाँच की व्यवस्था की जाय ताकि संभावित अनियमितताओं एवं त्रुटियों से बचा जा सके।

6. महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा उपलब्धियाँ

क्र0सं0	कंडिका सं0	विवरण
1	10	पिछड़ा क्षेत्र विकास निधि से निजी भूमि पर शौचालय निर्माण(₹69.79 लाख)
2	12	कम जमा ₹4005.16
3	13	नहीं जमा ₹2013.68
4	15	स्टाम्प शुल्क की वसूली नहीं ₹76582.00
5	16	बंदोबस्ती की राशि का कम जमा करना ₹103818.00
6	18	वीर कुँवर सिंह बस पड़ाव

		बंदोबस्ती
7	26	योजनओं के कार्यान्वयन में त्रुटि
8	27	श्रम सेस की कटौती नहीं

7. रोकड़ बही

नगर परिषद् किशनगंज द्वारा संधारित विभिन्न रोकड़ बहियों का आय–व्यय निम्न था:–

(i) पी0 एल0 खाता

पी0 एल0 खाता रोकड़ बही का आय–व्यय:–

	वर्ष→ / विवरण↓	2009–10	2010–11
1	प्रारंभिक शेष	134281064.65	48327070.65
2	प्राप्ति		
	(i) अनुदान		
	(ii) स्टाम्प शुल्क	3363842.00	7929290.00
	(iii) वीर कुँवर सिंह बस पड़ाव में पुनः निर्माण हेतु क्षतिपूर्ति राशि	2328562.00	–
	(iv) वेतन एवं भत्ता	1724133.00	1181288.00
	(v मैचिंग ग्राण्ट	6267065.00	14519808.00
	(vi)) मुख्य पार्षद एवं पार्षद भत्ता	147600.00	147600.00
	(vii) बारहवीं वित्त आयोग	3408520.00	–
	(viii) 13 वीं वित्त आयोग	–	3300000.00
	(ix) तलेला घाट निर्माण	–	320000.00
	(x) सामुदायिक भवन निर्माण	–	2800000.00
	(xi) सड़क निर्माण	–	7975000.00
	(xii) नाला निर्माण	–	16200000.00

191

	(xiii) जलापूर्ति परियोजना	–	83665450.00
	(xiv) जनगणना	–	578700.00
	(xv) स्वयं स्रोत	5206075.00	4024234.00
	(xvi) अन्य स्रोत	–	476611.00
3	वर्ष का आय	22445797.00	143117981.00
4	कुल प्राप्ति	156726861.65	191445051.65
5	व्यय		
	(i) योजना	101106941.00	105694705.00
	(ii) स्थापना	7292850.00	15400804.00
	(iii) कुल व्यय	108399791.00	121095509.00
6	अन्तशेष	48327070.65	70349542.65

लेखापरीक्षा आपत्तियाँ

(क) वर्ष के अंत में बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं किया गया था।

(ख) ट्रेजरी पास बुक अद्यतन नहीं कराया गया था जिसके कारण दिनांक 31.03.11 को ट्रेजरी पास बुक का अन्तशेष नहीं पता चल सका।

(ग) वार्षिक लेखा तैयार किया गया था, जिसके कारण शीर्षवार प्राप्ति एवं व्यय की जाँच नहीं किया जा सका।

उपर्युक्त लेखापरीक्षा आपत्तियो के आलोक में नगर परिषद् द्वारा जवाब दिया गया कि बैंक समाधान विवरणी तैयार कर ली जायेगी एवं ट्रेजरी खाता बही अद्यतन करा ली जायेगी। वार्षिक लेखा के संबंध में बताया गया कि इसका संधारण नगर परिषद् द्वारा नहीं किया जाता है। भविष्य में वार्षिक लेखा का संधारण किया जायेगा। साथ ही वार्षिक लेखा संधारण नहीं होने के कारण कर्मियों की कमी बताया गया।

अतः उपर्युक्त लेखापरीक्षा आपत्तियों में ईंगित कर्मियों को दूर कर, अगले लेखापरीक्षा में दिखाया जाये।

(ii) बस टर्मिनल रोकड़ बही

बस टर्मिनल रोकड़ बही का आय–व्यय निम्न था:–

	विवरण↓ / वर्ष→	2009—10	2010—11
1	प्रारंभिक शेष	706033.00	429981.00
2	प्राप्ति		
	(i) अनुदान	957650.08	5286728.00
	(ii) ब्याज	46324.00	70923.00
	(iii) अन्य	—	—
3	वर्ष का प्राप्ति	1003974.00	5357651.00
4	कुल प्राप्ति	1710007.00	5787632.00
5	व्यय	1280026.00	2425386.00
6	अन्तशेष	429981.00	3362246.00

लेखापरीक्षा आपत्ति

दिनांक 31.03.11 को रोकड़ बही का अंतशेष	₹3362246.00
दिनांक 31.03.11 को बैंक खाता का अंतशेष	₹3371263.06
खाता सं0	06962010000960
ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, किशनगंज	
अंतर	₹9017.06

अन्तर का बैंक समाधान विवरणी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

लेखापरीक्षा आपत्ति के जवाब में बताया गया कि बैंक समाधान विवरणी तैयार कर ली जायेगी।

अतः बैंक समाधान विवरणी तैयार कर अगले लेखापरीक्षा में दिखाया जाय।

(iii) बाल्मीकि अम्बेदकर आवास योजना

बाल्मीकि अम्बेदकर आवास योजना रोकड़ बही का आय—व्यय निम्न था:—

	वर्ष→ / विवरण↓	2009–10	2010–11
1	प्रारंभिक शेष	95880.00	99255.00
2	प्राप्ति		
	(i) अनुदान	–	–
	(ii) ब्याज	3375.00	3520.00
	(iii) अन्य	–	
3	वर्ष का प्राप्ति	3375.00	3520.00
4	कुल प्राप्ति	99255.00	102775.00
5	व्यय	शून्य	शून्य
6	अन्तशेष	99255.00	102775.00

खाता सं0 1269, कोशी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, किशनगंज का दिनांक 31.03.11 का अंतशेष =₹102775.00

रोकड़ बही की जाँच के क्रम में पाया गया कि अक्टूबर 2007 से लेखापरीक्षा अवधि तक इस मद से कोई व्यय नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा आपत्ति के आलोक में जवाब दिया गया कि शेष राशि सरकार को वापस कर दी जायेगी।

अतः शेष राशि सरकार को वापस कर अगले लेखापरीक्षा में दिखाया जाय।

(iv) राष्ट्रीय गंदी बस्ती

राष्ट्रीय गंदी बस्ती रोकड़ बही का आय–व्यय निम्न था:–

	वर्ष→ / विवरण↓	2009–10	2010–11
1	प्रारंभिक शेष	590281.00	590281.00
2	प्राप्ति		
	(i) अनुदान	–	शून्य

	(ii) ब्याज	–	31589.00
	(iii) अन्य	–	–
3	वर्ष का प्राप्ति	शून्य	31589.00
4	कुल प्राप्ति	590281.00	621870.00
5	व्यय	शून्य	शून्य
6	अन्तशेष	590281.00	621870.00

खाता सं0 5798, इलाहाबाद बैंक, किशनगंज का दिनांक 31.03.11 को अंतशेष ₹621870.00

रोकड़ बही की जाँच में पाया गया कि जनवरी 2007 से अंकेक्षण अवधि तक इस निधि से कोई व्यय नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा आपत्ति के आलोक में जवाब दिया गया कि अवशेष राशि अभिकर्त्ता की लंबित राशि है।

अतः लंबित राशि का समायोजन कर अगले लेखापरीक्षा में दिखाया जाय।

(v) कबीर अंत्येष्टि

कबीर अंत्येष्टि रोकड़ बही का आय–व्यय निम्न था:–

	वर्ष→ / विवरण↓	**2009–10**	**2010–11**
1	प्रारंभिक शेष	127998.00	297444.00
2	प्राप्ति		
	(i) अनुदान	744000.00	674000.00
	(ii) ब्याज	6146.00	15615.00
	(iii) अन्य	9000.00	6000.00
3	वर्ष का प्राप्ति	759146.00	695615.00
4	कुल प्राप्ति	887144.00	993059.00
5	व्यय	589700.00	483028.00
6	अन्तशेष	297444.00	510031.00

(187)

खाता सं0 06962010003060, ओरियन्टल बैंक ऑफ कामर्स, किशनगंज का दिनांक 31.03.11 का अंतशेष =₹510031.00

रोकड़ बही के जाँच में पाया गया कि नगर परिषद् द्वारा इस योजना में वर्ष 2009–10 एवं 2010–11 में कुल ₹1072728.00 व्यय किया गया। परन्तु इस व्यय से संबंधित अभिश्रव यथाः अनुदान प्राप्तकर्त्ता का आवेदन, वार्ड पार्षद का अनुमोदन एवं राशि प्राप्तकर्त्ता का प्राप्ति रसीद लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसे अगले लेखापरीक्षा में प्रस्तुत किया जाय, तब तक ₹1072728.00 लेखा परीक्षा आपत्ति के अंतर्गत रखा जाता है।

(vi) पथ एवं नाला निर्माण

पथ एवं नाला निर्माण रोकड़ बही का वर्ष 2009–10 एवं 2010–11 के आय–व्यय विवरणी निम्न था:–

	वर्ष→ / विवरण↓	2009–10	2010–11
1	प्रारंभिक शेष		शून्य
2	प्राप्ति		7605000.00
	(i) अनुदान		203282.00
	(ii) ब्याज		6750.00
	(iii) अन्य		–––
3	वर्ष का आय		7815032.00
4	कुल प्राप्ति		7815032.00
5	व्यय		1870763.00
6	अन्तशेष		5944269.00

बैंक खाता सं0 3148101000601, केनरा बैंक किशनगंज का दिनांक 31.03.11 का अंतशेष =₹5944269.00

181

(vii) एस० जे० एस० आर० वाई०

आय–व्यय विवरणीः–

	वर्ष→ विवरण↓	2009–10	2010–11
1	प्रारंभिक शेष	3560863.40	3686584.40
2	प्राप्ति		
	(i) अनुदान	शून्य	शून्य
	(ii) ब्याज	125721.00	119309.00
	(iii) अन्य	–	–
3	वर्ष का प्राप्ति	125721.00	119309.00
4	कुल प्राप्ति	3686584.40	3805893.40
5	व्यय	शून्य	शून्य
6	अन्तशेष	3686584.40	3805893.40

खाता सं० 6579 यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, किशनगंज, दिनांक 31.03.11 को बैंक का अंतशेष =₹3805893.40

रोकड़ बही के जाँच में पाया गया जून 2007 से अंकेक्षण अवधि तक इस निधि से कोई व्यय नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा आपत्ति के आलोक में जवाब दिया गया कि योजना से संबंधित राशि से योजना कार्यान्वयन की कार्यवाई की जा रही है।

अतः योजना के अवशेष राशि से योजना का कार्यान्वयन कर कार्यान्वयन की स्थिति से अगले लेखापरीक्षा को अवगत कराया जाय।

(viii) पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि

(क) खाता सं० 22024277597, इलाहाबाद बैंक, किशनगंज

185

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि का खाता सं0 22024277597, इलाहाबाद बैंक, किशनगंज के रोकड़ बही का वर्ष 2009–10 एवं 2010–11 के लिए आय–व्यय विवरणी निम्न था:–

	वर्ष→ / विवरण↓	2009–10	2010–11
1	प्रारंभिक शेष	8518126.00	6791613.00
2	प्राप्ति		
	(i) अनुदान	6514518.00	–
	(ii) ब्याज	321593.00	326265.00
	(iii) अन्य	–	–
3	वर्ष की प्राप्ति	6836111.00	326265.00
4	कुल प्राप्ति	15354237.00	7117878.00
5	व्यय	8562624.00	4241497.00
6	अन्तशेष	6791613.00	2876381.00

दिनांक 31.03.11 को बैंक खाता का अंतशेष =₹2876381.00

अवशेष राशि यथाशीघ्र व्यय किया गया।

(ख) खाता सं0 603202010001329 यूनियन बैंक, किशनगंज

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि का खाता सं0 603202010001329, यूनियन बैंक, किशनगंज के रोकड़ बही का वर्ष 2009–10 एवं 2010–11 के लिए आय–व्यय विवरणी निम्न था:–

	वर्ष→ / विवरण↓	2009–10	2010–11
1	प्रारंभिक शेष	शून्य	7190786.00
2	प्राप्ति		
	(i) अनुदान	7169874.00	6094426.00
	(ii) ब्याज	20912.00	328736.00

	(iii) अन्य	—	71250.00
3	वर्ष की प्राप्ति	7190786.00	6494412.00
4	कुल प्राप्ति	7190786.00	13685198.00
5	व्यय	शून्य	3199569.00
6	अन्तशेष	7190786.00	10485629.00

दिनांक 31.03.11 को बैंक का अंतशेष =₹10485629.00

लेखापरीक्षा आपत्ति

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के लिए दो रोकड़ बही का संधारण एवं दो बैंक खाता का संचालन किया गया था।

लेखापरीक्षा आपत्ति के जवाब में बताया गया कि एक खाता बंद करने की कार्यवाई की जा रही है।

अतः इस निधि का एक खाता बंद कर अगले लेखापरीक्षा में दिखाया जाय।

(ix) एम० पी०/एम० एल० ए० निधि

आय–व्यय विवरणीः–

	वर्ष→ / विवरण↓	2009–10	2010–11
1	प्रारंभिक शेष	788201.00	1364994.00
2	प्राप्ति		
	(i) अनुदान	634753.00	123363.00
	(ii) ब्याज	–	–
	(iii) अन्य	3000.00	–
3	वर्ष की प्राप्ति	637753.00	123363.00
4	कुल प्राप्ति	1425954.00	1488357.00
5	व्यय	60960.00	187057.00
6	अन्तशेष	1364994.00	1301300.00

खाता सं0 209, यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया, किशनगंज का दिनांक 31.03.11 का अंतशेष =₹1301300.00

(x) खाता सं0 2609, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, केसराबाद, किशनगंज

आय–व्यय विवरणी

	वर्ष → / विवरण ↓	2009–10	2010–11
1	प्रारंभिक शेष	162556.00	321124.00
2	प्राप्ति		
	(i) अनुदान	7747123.00	13424793.00
	(ii) ब्याज	शून्य	शून्य
	(iii) अन्य	57248.00	शून्य
3	वर्ष का आय	7804371.00	13424795.00
4	कुल प्राप्ति	7966927.00	13745917.00
5	व्यय	7645803.00	13310055.00
6	अन्तशेष	321124.00	435862.00

दिनांक 31.03.11 को बैंक का अंतशेष	₹576454.00
दिनांक 31.03.11 को रोकड़ बही का अंतशेष	₹435862.00
अंतर	₹140592.00

अंतर का बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं किया गया था। अतः बैंक समाधान विवरणी तैयार कर अगले लेखापरीक्षा में दिखाया जाय।

रोकड़ बहियों के जाँच के क्रम में पाया गया कि नगर परिषद् किशनगंज द्वारा पी0 एल0 खाता रोकड़ बही के अलावे अन्य 10 रोकड़ बहियों का संधारण एवं बैंक खातों संचालन किया गया था। अधिक रोकड़ बहियों का संधारण एवं बैंक खातों के संचालन से अनियमितता की संभावना बढ जाती है। बिहार सरकार नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्रांक–4 न0 सृ0 1–102/95–1440/न0 वि0 एवं आ0 वि0 दिनांक 28.04.

09 के द्वारा भी पी0 एल0 खाता खोलने एवं बैंक खाता बंद करने का निर्देश दिया गया था। अतः अनावश्यक संचालित बैंक खाता को बंद किया जाय।

लेखापरीक्षा आपत्ति के आलोक में जवाब दिया गया कि अंकेक्षण आपत्ति का अनुपालन किया जायेगा।

8. बजट की स्थिति

(i) बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 84 के अनुसार प्रत्येक अगले वर्ष का बजट 15 मार्च तक नगर परिषद् बोर्ड द्वारा पारित कर स्थानीय निकायों के निदेशक नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार को भेजना है तथा निदेशक द्वारा बजट अनुमोदन का 31 मार्च तक नगर परिषद् को लौटा देना है।

लेकिन नगर परिषद् किशनगंज बोर्ड द्वारा बजट को पारित करने तथा सरकार को भेजने की स्थिति निम्नवत है।

वर्ष	**पारित होने की तिथि**	**न0 वि0 एवं आ0 वि0 बिहार सरकार, पटना को भेजने की तिथि**
2009–10	29.06.2009	पत्रांक 738 दि0 02.07.09
2010–11	21.06.2010	पत्रांक 653 दि0 28.06.10

उपरोक्त विवरणी से स्पष्ट है कि समय पर बजट प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया।

सरकार द्वारा बजट अनुमोदित कर अंकेक्षण अवधि तक नगर पंचायत को लौटाया भी नहीं गया था।

(ii) बजट प्राक्कलन घाटे का बनाया गया था। लेकिन इस घाटे के प्रतिपूर्ति के लिए नगर परिषद् बोर्ड द्वारा कोई सुझाव नहीं दिया गया था।

	वर्ष	**प्राप्ति प्राक्कलन**	**व्यय प्राक्कलन**	**घाटे की राशि**
		(₹ in lakh)		
1	2009–10	1870.45	3572.33	1701.88
2	2010–11	1635.35	1897.88	262.53

(iii) नगर परिषद् के बजट प्राक्कलन तथा वास्तविक में 3.55% से लेकर 69.44% का अंतर था।

मद	**2009–10**		**2010–11**	
	प्राप्ति	**व्यय**	**प्राप्ति**	**व्यय**
	(₹ in lakh)		**(₹ in lakh)**	

(181)

बजट	1870.45	3572.73	1635.35	1897.88
वास्तविक	1804.03	1091.92	1446.38	1210.96
अंतर	66.42	2480.81	186.97	686.92
प्रतिशत(%)	3.55	69.44	11.56	36.19

सरकार के दिशा–निर्देशा के अनुसार बजट प्राक्कलन में प्राप्ति तथा व्यय एवं वास्तविक प्राप्ति तथा व्यय में 25% से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए, लेकिन नगर परिषद् द्वारा वर्ष 2009–10 एवं 2010–11 के व्यय में क्रमशः 69.44% तथा 36.19% का अंतर था, जो सरकार के दिशा–निर्देश के विपरीत था। अंतर का कारण अगले अंकेक्षण में स्पष्ट करें।

(iv) निम्नलिखित प्राप्ति शीर्ष में बजट प्राक्कलन तथा वास्तविक में ज्यादा अंतर था तथा व्यय शीर्ष बजट प्राक्कलन के विरूद्ध व्यय नहीं किया गया था।

	प्राप्ति					
मद	**2009–10**			**2010–11**		
	बजट प्राप्ति	**वास्तविक**	**अंतर**	**बजट प्राप्ति**	**वास्तविक**	**अंतर**
	(₹ in lakh)			**(₹ in lakh)**		
गृहकर	128.00	26.88	101.12	45.50	10.38	35.12
पेशा कर	10.00	2.14	7.86	5.00	1.02	3.98
मोबाईल टावर	25.00	0.78	24.22	25.00	1.00	24.00

	व्यय					
मद	**2009–10**			**2010–11**		
	बजट प्राप्ति	**वास्तविक**	**अंतर**	**बजट प्राप्ति**	**वास्तविक**	**अंतर**
	(₹ in lakh)			**(₹ in lakh)**		
प्रशासनिक नियोजन	10.00	शून्य	10.00	15.00	शून्य	15.00

जंगल–झाड़ सफाई	2.00	शून्य	2.00	5.00	शून्य	5.00
पार्क रखरखाव	2.00	शून्य	2.00	5.00	शून्य	5.00
विद्युत सामग्री	5.00	शून्य	5.00	5.00	शून्य	5.00
विद्युत विपत्र	100.00	शून्य	100.00	100.00	10.00	90.00

अंतर का कारण अगले लेखा परीक्षा में स्पष्ट किया जाय।

9. अनुदान की स्थिति

नगर परिषद् द्वारा अनुदान पंजी का संधारण नहीं किया गया था। इस कारण पूर्व के अनुदान का अवशेष, वर्ष में प्राप्त अनुदान तथा व्यय एवं अंतिम अवशेष ज्ञात नहीं हो सका था। अनुदान पंजी का संधारण कर अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत करें। आवंटन पंजी तथा रोकड़ बही के अनुसार वर्ष 2009–10 तथा 2010–11 तक निम्नलिखित अनुदान प्राप्त हुआ था।

वर्ष	**राशि(₹)**
2009–10	3,91,36,314.00
2010–11	14,53,85,562.00

अंकेक्षण आपत्ति

(i) अनुदान से व्यय की गई राशि तथा उपयोगिता प्रमाण–पत्र अंकेक्षण में यथाशीघ्र उपलब्ध करावे।

(ii) नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना के पत्रांक 6243 दिनांक 31.12.10 के द्वारा नगर प्रबंधक के वेतन के लिए ₹1,40,000.00 का अनुदान प्राप्त हुआ था लेकिन नगर परिषद् में नगर प्रबंधक की नियुक्ति नहीं हुई थी। अतः यह राशि अभी तक अव्यवहृत थी। इस राशि को सरकार को वापस नहीं किया गया था। इसे यथाशीघ्र सरकार को वापस करें।

10. पिछड़ा क्षेत्र विकास निधि से निजी भूमि पर शौचालय निर्माण (₹69.79 लाख)

पिछड़ा क्षेत्र विकास निधि अनुदान से ली गई निम्नलिखित योजनाये रिंग वेल टाईप शौचालय निर्माण से संबंधित थी तथा योजना संचिका के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि सभी शौचालय का निर्माण व्यक्ति विशेष के जमीन पर किया गया था। विस्तृत विवरणी निम्न हैः–

179

क्र0सं0	योजना सं0	योजना का नाम	प्रा0 राशि	संवेदक की भुगतान की गई राशि
1	1/09–10	वार्ड सं0 01 से 05 में रिंग वेल टाईप शौचालय का निर्माण	9,97,500.00	8,64,746.00
2	2/09–10	वार्ड सं0 6 से 09 में तथैव	7,98,000.00	7,75,955.00
3	3/09–10	वार्ड सं0 10 से 14 में तथैव	9,97,500.00	9,96,790.00
4	4/09–10	वार्ड सं0 15 से 19 में तथैव	9,97,500.00	9,87,566.00
5	5/09–10	वार्ड सं0 20 से 24 में तथैव	9,97,500.00	9,51,457.00
6	6/09–10	वार्ड सं0 25 से 29 में तथैव	9,97,500.00	9,77,122.00
7	7/09–10	वार्ड सं0 30 से 34 में तथैव	9,97,500.00	9,69,784.00
8	8/09–10	सार्वजनिक स्थल पर शौचालय का निर्माण	2,09,950.00	2,09,851.00
9	09/09–10	कुल उपवार्ड में एक–एक रिंग वेल टाईप शौचालय निर्माण	3,57,300.00	2,45,637.00
			73,50,250.00	69,78,908.00

लेखापरीक्षा टिप्पणी

(i) पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के दिशा–निर्देश के अनुसार व्यक्तिगत लाभ की कोई योजना नहीं लेनी थी। लेकिन सभी योजनायें (क्रमांक 8 को छोड़कर) व्यक्तिगत लाभ के संबंधित थी।

(ii) निजी जमीन पर शौचालय निर्माण करने से पहले जमीन माननीय राज्यपाल महोदय के नाम पर निबंधित होना चाहिए था तब शौचालय का निर्माण होना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं किया गया था।

(iii) जिला योजना समिति द्वारा पारित उपरलिखित सभी योजना पर उपविकास आयुक्त सह सचिव, जिला योजना समिति, किशनगंज का हस्ताक्षर नहीं था।

(iv) रिंग वेल शौचालय की अनुमानित पूर्वमुद्रित राशि ₹70.00 लाख का हाथ से सुधार कर ₹73,48,209.00 एवं सामुदायिक शौचालय निर्माण की अनुमानित पूर्वमुद्रित राशि ₹8,00,000.00 को हाथ से सुधार कर

₹20,00,000.00 किया गया था, लेकिन जिला योजना समिति के सदस्य या सचिव का हस्ताक्षर नहीं था, जो संदेहास्पद था।

इसका कारण स्पष्ट करने तक व्यय की गई कुल राशि ₹69,78,908.00 अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखी जाती है।

11. स्वीकृत बल एवं कार्यरत बल

नगर परिषद् किशनगंज में स्वीकृत बल एवं कार्यरत बल की स्थिति निम्न थीः—

क्र0 सं0	पद का नाम	स्वीकृत बल	कार्यरत बल	रिक्त बल
1	कनीय अभियंता	02	शून्य	02
2	प्रधान सहायक–सह–लेखापाल	01	शून्य	01
3	सहायक	08	04	04
4	कर दारोगा	01	01	शून्य
5	तहसीलदार	07	04	03
6	पेशाकर निरीक्षक	01	01	शून्य
7	स्वच्छता निरीक्षक	01	शून्य	01
8	जमादार	04	शून्य	04
9	मलबह निरीक्षक	02	शून्य	02
10	अनुसेवक	07	03	04
11	रात्रि प्रहरी	01	01	शून्य
12	माली	01	01	शून्य
13	ट्रैक्टर चालक	01	01	शून्य
14	भंडार पाल	01	शून्य	01
15	रोड पीयून	01	शून्य	01
16	खलासी	01	शून्य	01
17	कार्ट सरकार	05	03	02

18	जल शोधक	01	शून्य	01
19	पाछक	01	शून्य	01
20	ट्रेंड दाई	01	शून्य	01
21	रोड सरकार	01	शून्य	01
22	चरवाहा	01	शून्य	01
23	सफाई कर्मी	88	29	59
	कुल योग	138	48	90

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि नगर परिषद् कर्मचारियों की भारी कमी है। कुल स्वीकृत बल 138 के विरूद्ध कार्यरत बल मात्र 48 था। अर्थात कुल स्वीकृत बल मात्र 35%। कनीय अभियंता, प्रधान सहायक, स्वच्छता निरीक्षक, मलवह निरीक्षक, भंडारपाल आदि महत्वपूर्ण पद रिक्त थे।

लेखापरीक्षा टिप्पणी

(i) रिक्त पद भरने के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु सरकार से अनुरोध नहीं किया गया था।

(ii) स्वीकृत बल से संबंधित नगर विकास विभाग का पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

(iii) मानदेय पर नियुक्त कर्मचारियों से संबंधित संचिका लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

लेखापरीक्षा आपत्तियों के आलोक में जवाब दिया गया कि नियुक्ति हेतु सरकार से पत्राचार किया जा रहा है।

12. कम जमा

'एच रसीद' से दैनिक वसूली पंजी की जाँच एवं दैनिक वसूली पंजी की जोड़ जाँच के दौरान ₹4005.21 कम जमा पाया गया।

लेखा परीक्षा आपत्ति के आलोक में उपर्युक्त राशि नगर परिषद् निधि में जमा कर दिया गया।(विस्तृत विवरण परिशिष्ट–IV पर)

जमा राशि का बैंक में जमा अगले लेखापरीक्षा में दिखाया जाय।

176

13. नहीं जमा

(i) विविध रसीद का दैनिक वसूली पंजी/चालान पंजी के साथ मिलान के दौरान पाया गया कि श्री भानु कुमार साह, लेखापाल द्वारा विविध रसीद संख्या 1878 दिनांक 06.11.09 से वसूल राशि ₹2000.00 नगर परिषद् निधि में जमा नहीं किया गया।

लेखापरीक्षा आपत्ति के आलोक में उपर्युक्त राशि विविध रसीद सं0 761 दिनांक 29.03.12 से नगर परिषद् निधि में जमा किया गया।

(ii) विविध रसीद से दैनिक वसूली पंजी/चालान पंजी के साथ मिलान के दौरान पाया गया कि श्री ध्रुव कुमार साह, टी0 सी0 द्वारा विविध रसीद सं0 9501 दिनांक 25.05.10 से वसूल राशि ₹13.68 नगर परिषद् निधि में जमा नहीं किया गया।

लेखापरीक्षा आपत्ति के आलोक उपर्युक्त राशि विविध रसीद सं0 774 दिनांक 03.04.12 से नगर परिषद् निधि में जमा किया गया।

उपर्युक्त जमाओं का बैंक खाता में जमा अगले लेखापरीक्षा में दिखाया जाय।

14. बकाया खतरनाक एवं भयावह व्यापार कर ₹2.21 लाख

नगर परिषद् किशनगंज द्वारा लेखापरीक्षा में प्रस्तुत विवरणी के अनुसार दिनांक 31.03.11 को कुल ₹221110.00। खतरनाक एवं भयावह व्यापार कर बकाया था। (विस्तृत विवरण परिशिष्ट– V पर)

उपर्युक्त बकाया कर के संबंध में जवाब दिया गया कि राशि वसूली जा रही है।

अतः बकाया कर वसूलकर नगर परिषद् निधि में जमा किया जाय एवं जमा तथा खतरनाक एवं भयावह व्यापार कर का माँग एवं वसूली पंजी अगले लेखापरीक्षा में दिखाया जाय।

15. स्टाम्प शुल्क की वसूली नहीं किया गया–₹0.77 लाख

मुख्य सचिव के पत्रांक 1920/नि0/मु0 स0 दिनांक 14.08.02 एवं सचिव सह निबंधन महानिरीक्षक, बिहार के पत्रांक 549 दिनांक 15.03.05 के निर्देशानुसार बस पड़ाव, हाट बाजार, दुकान, मार्केटिंग शेडस इत्यादि की बंदोबस्ती, यदि एक वर्ष या उससे कम अवधि के लिए , की जाती है तो बंदोबस्ती करने से पूर्व

175)

बंदोबस्ती राशि का 3% मुद्रांक शुल्क देय होगा। परन्तु नगर परिषद् द्वारा निम्नलिखित बस स्टैंड/हाट बाजार के बंदोबस्तधारियों से स्टाम्प शुल्क की वसूली नहीं किया गयाः–

क्र0 सं0	बस स्टैंड/हाट बाजार का नाम व वर्ष	बंदोबस्ती की राशि(₹)	स्टाम्प शुल्क(₹)	बंदोबस्तदार का नाम
1	वीर कुंवर सिंह बस पड़ाव वर्ष 2009–10	1820000.00	54600.00	मो0 इरफान, लाइन खालका चौक, किशनगंज
2	माधव नगर सब्जी मंडी, वर्ष 2009–10	217536.00	6526.00	मो0 आफताव आलम, सौदागर पट्टी किशनगंज
3	तथैव वर्ष 2010–11	300875.00	9026.00	तथैव
4	माधव नगर मांस मछली बाजार वर्ष 2009–10	25070.00	752.00	तथैव
5	माधव नगर मांस मछली बाजार, 2010–11	35100.00	1053.00	मो0 आलम
6	डे मार्केट सब्जी मंडी वर्ष 2009–10	113094.00	3393.00	मो0 तनवीर आलम करबला , किशनगंज
7	डे मार्केट मांस मछली बाजार, वर्ष 2009–10	29235.00	877.00	साहिद खान डे मार्केट सब्जी मंडी
8	खस्सी बकरी जबहखाना, वर्ष 2009–10	11828.00	355.00	तथैव
		कुल योग	76582.00	

लेखापरीक्षा आपत्ति के आलोक में जवाब दिया गया कि बकाया स्टाम्प शुल्क वसूली हेतु कार्यवाई की जा रही है।

अतः बकाया स्टाम्प शुल्क ₹76582.00 बंदोबस्तधारियों से वसूलकर सरकार के संबंधित शीर्ष में जमा किया जाय एवं जमा को अगले लेखापरीक्षा में दिखाया जाय।

16. बंदोबस्ती की राशि कम जमा किया जाना–₹1.04 लाख

नगर परिषद् द्वारा वर्ष 2009–10 एवं वर्ष 2010–11 में बंदोबस्त किये बस पड़ाव एवं हाट बाजार के संचिका के जाँच में पाया गया कि बंदोबस्तधारी द्वारा कुल ₹103818.00 बंदोबस्ती की राशि कम जमा किया गया। विस्तृत विवरण निम्न है:–

क्र0 सं0	बस पड़ाव/हाट बाजार का नाम व वर्ष	बंदोबस्ती की राशि(₹)	जमा राशि(₹)	कम जमा(₹)	बंदोबस्तदार का नाम
1	माधव नगर सब्जी मंडी, वर्ष 2009–10	217536.00	198768.00	18768.00	मो0 आफताब आलम
2	डे–मार्केट सब्जी मंडी बाजार वर्ष 2010–11	220100.00	135050.00	85050	श्री धनंजय कुमार, खगड़ा करवला चौक, किशनगंज
			कुल योग	103818.00	

लेखापरीक्षा आपत्ति के आलोक में नगर परिषद् द्वारा जवाब दिया गया कि बकाया राशि वसूली हेतु कार्यवाई की जा रही है।

अतः कुल बकाया राशि ₹103818.00 बंदोबस्तदार से वसूलकर नगर परिषद् निधि में जमा किया जाय एवं जमा को अगले लेखापरीक्षा मे दिखाया जाय।

17. पिलखाना रोड खस्सी बकरी जब्बहखाना बंदोबस्ती–₹0.11 लाख

पिलखाना रोड खस्सी बकरी जब्बहखाना का वर्ष 2010–11 के बंदोबस्ती संचिका के जाँच में पाया गया कि जब्बहखाना के बंदोबस्ती के लिए ज्ञापांक 289 दिनांक 9.03.10 द्वारा आम सूचना दी गयी एवं डाक बंदोबस्ती की तिथि 19.03.10 निर्धारित की गयी। बंदोबस्ती तिथि को एक भी डाकवक्ता डाक के लिए उपस्थित नहीं हो सका। फलतः विभागीय वसुली का निर्णय लिया गया विभागीय वसूली हेतु श्री जमशेद आलम, जमादार को प्राधिकृत किया गया। श्री आलम द्वारा वर्ष 2010–11 में कुल ₹3000.00 वसूल किया गया। जिसे चलान द्वारा दिनांक 31.03.11 को नगर परिषद् निधि में जमा किया गया।

173)

लेखापरीक्षा आपतियाँ

(i) दिनांक 19.03.2010 को एक भी डाक वक्ता के उपस्थित नहीं होने के बाद बंदोबस्ती हेतु दूसरी आम सूचना नहीं दिया गया।

(ii) वर्ष 2009–10 में जब्बहखाना का बंदोबस्ती ₹14200.00 में किया गया था। परन्तु वर्ष 2010–11 में मात्र ₹3000.00 विभागीय वसूली की गयी। इस प्रकार नगर परिषद् को ₹11200.00(14200–3000) का अनुमानित हानि हुआ।

(iii) विभागीय वसूली के लिए जारी किये गये कुपन का अधकट्टी, दैनिक वसूली पंजी एवं कुपन का भंडार पंजी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। लेखापरीक्षा आपत्तियो के आलोक में नगर परिषद् द्वारा जवाब दिया गया कि विभागीय रूप में कार्यालय अवधि में वसूली के कारण वसूली कम हुआ। जवाब मान्य नहीं था।

अतः कम वसूली के लिए जिम्मेवार व्यक्ति से, नगर परिषद् को हुई अनुमानित हानि ₹11200.00 वसूलकर नगर परिषद् निधि में जमा किया जाय। साथ ही विभागीय वसूली के लिए जारी किये गये कूपन का अधकट्टी, दैनिक वसूली पंजी एवं भंडार पंजी अगले लेखापरीक्षा में प्रस्तुत किया जाय।

18. वीर कुँवर सिंह बस पड़ाव बंदोबस्ती का कम जमा होना

(क) वर्ष 2009–10

वीर कुँवर सिंह बस पड़ाव के वर्ष 2009–10 की बंदोबस्ती चुनाव आचार–संहिता के कारण 1 अप्रैल 2009 से 10 सितम्बर, 2009 तक नहीं किया जा सका। फलस्वरूप उपर्युक्त अवधि में नगर परिषद् के 12(बारह) कर्मचारियों द्वारा विभागीय वसूली कर कुल ₹562400.00 वसूल किया गया। इन राशियों का जमा विवरण निम्न हैः–

क्र0 सं0	दिनांक	राशि(₹)
1	08.05.2009	72400.00
2	22.06.2009	175000.00
3	14.07.2009	100000.00

4	31.07.2009	75000.00
5	04.08.2009	75000.00
6	08.08.2009	25000.00
7	29.08.2009	40000.00
	कुल योग	562400.00

चुनाव आचार संहिता समाप्त होने के बाद जिला पदाधिकारी द्वारा ₹20,93,000.00 सुरक्षित जमा राशि निर्धारित कर दिनांक 04.08.09, 05.08.09 एवं 06.08.09 को डाक हेतु तिथि निर्धारित की गईं। जिसमें कोई डाकधारी उपस्थित नहीं हुआ। इसी पारित आदेश के आलोक में पुनः दिनांक 20.08.09, 21.08.09 एवं 22.08.09 को डाक के लिए तिथि निर्धारित की गईं। इस निर्धारित तिथि को भी कोई डाकधारी उपस्थित नहीं हुआ। तत्पश्चात पुनः दिनांक 10.09.09, 11.09.09 तथा 12.09.09 को डाक के लिए तिथि निर्धारित की गई। दिनांक 10.09.09 को पूर्व डाकधारियों को डाक में भाग लेने के लिए अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्देश दिया गया। परिणामस्वरूप अवशेष अवधि दिनांक 11.09.09 से 31.03.10 तक के लिए अधिकतम डाकवक्ता मो0 इमरान, खानका चौक, किशनगंज को ₹8,61,000.00 में बस पडाव का बंदोबस्ती किया गया।

लेखापरीक्षा आपत्तियाँ

(i) वर्ष 2009–10 के लिए कुल ₹2093000.00 सुरक्षित राशि रखी गयी थी। दिनांक 01.04.09 से 29.08.09 तक लगभग 5 महीनों के लिए विभागीय वसूली की गयी थी। इस अवधि में सुरक्षित राशि के आधार पर औसत आय ₹872083.00 {(2093000÷12)x 5} होनी चाहिए थी। परन्तु विभागीय वसूली मात्र ₹562400.00 हुई। इस प्रकार ₹309683.00 की अनुमानित हानि हुई।

लेखापरीक्षा आपत्ति के आलोक में नगर परिषद् द्वारा जवाब दिया गया कि कर्मियों की कमी कम वसूली का कारण है।

जवाब मान्य नहीं है क्योंकि विभागीय वसूली में नगर परिषद् के कुल 11 कर्मचारी को लगाया गया था। अतः कम वसूली के लिए जिम्मेवार व्यक्ति(यों) से ₹309683.00 वसूलकर नगर परिषद् निधि में जमा किया जाय।

विभागीय वसूली के लिए जारी किये गये कूपन, दैनिक वसूली पंजी एवं इसका भंडार पंजी लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसे अगले लेखापरीक्षा में प्रस्तुत किया जाय।